अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

गिरधारी बनाम बींजा लाल वगैरह

किस्म मुकदमा–225राज.काश्तकारी अधि. अपील संख्या 285/2022(किशनगढ़)

	श्री वी.पी.सिंह राजावत एड़वोकेट	
29.09.2022	गिरधारी बनाम बींजा लाल वगैरह यह अपील श्री वी.पी.सिंह राजावत एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के द्वारा प्रकरण संख्या 41/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र में देरी के जो कारण अंकित किये गये है जो सतोषजनक होने के कारण न्यायहित में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 04.10.2022 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
04.10.2022	पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2022 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
11.10.2022	पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट/प्रतिवादी एवं अन्य रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत किया तथा साथ ही वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.03.2022 को विवादित बाबत् प्रार्थी/रेस्पोडेन्टस को बेदखल नहीं करे, खुर्द–बुर्द नहीं करें, निर्माण कार्य नहीं करे, उपयोग उपभोग में आवागमन कृषि भूमि में बाधा कारित नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है। विवादित आराजीयात एवं अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 2484/1 के मध्य करीब आधा किलोमीटर की दूरी है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेनट संख्या 01 की सहखातेदारी की आराजी में अथवा किसी भी राजकीय या चारागाह की भूमि में अपीलांट द्वारा कब्जा करने अथवा खुर्द–बुर्द करने का तथ्य कतई निराधर है इस अशय का विस्तृत जवाब मय दस्तावेजात अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण	

को निस्तारित करने के बजाय रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की तलबी एवं जवाब हेतु नियम किया हुआ है जब कि प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र से रेस्पोडेन्ट संख्या 03 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। मात्र प्रकरण को लम्बित रखने के उद्देश्य से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 प्रकरण में अंतिम बहस नहीं कर निरर्थक प्रार्थना पत्र पेश करने का आदि है। जैसा कि पूर्व में दिनांक 19.04.2022 को भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 जा.दी. प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.2022 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम निस्तारण नहीं कर लम्बित रखा जा रहा है जो विधि सम्मत नहीं है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी/अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। यदि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2022 की पालना को स्थगित नहीं फरमायी गयी तो प्रार्थी को भूमि से जबरन बेदखल कर देगा जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशगनढ़ के आदेश दिनांक 04.03.2022 की पालना एवं प्रभाव को ताफैसला अपील स्थगित फरमायी जाने का आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के द्वारा पारित अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 04.03.2022 के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.03.2022 को विवादित बाबत् प्रार्थी/रेस्पोडेन्टस को बेदखल नहीं करे, खुर्द–बुर्द नहीं करें, निर्माण कार्य नहीं करे, उपयोग उपभोग में आवागमन कृषि भूमि में बाधा कारित नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 03 के जवाब हेतु नियत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम स्थगन आदेश एक पक्षीय है। जाप्ता दीवानी के आदेश 39 नियम 3 ए में यह प्रावधान है कि एक पक्षीय स्थगन दिये जाने पर उसका निस्तारण 30 दिवस में किया जाना चाहिए, किन्तु उक्त विधिक प्रावधानो के विपरीत जाते हुए विगत 07 माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी एक पक्षीय स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर रखा है, जो विधि सम्मत नही है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसद देते हुए, प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है वों प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

गिरधारी बनाम बींजा लाल वगैरह

किस्म मुकदमा—225राज.काश्तकारी अधि. अपील संख्या 285 / 2022(किशनगढ़)

लगातार	अवसद देते हुए, प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करते हुए निर्देश दिये जाते है। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	